

आधसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5706(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, डॉ. रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक, एम्स, नई दिल्ली को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. जेड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई.IV]

मनोहर अगनानी, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2022

S.O. 5706(E).—In exercise of the power conferred by section 7 (1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. Randeep Guleria, Former Director, AIIMS, New Delhi, as President of All India Institute of Medical Sciences, Bilaspur.

[F. No. Z-28016/178/2019-PMSSY.IV]

MANOHAR AGNANI, Addl. Secy.